।। श्री गणेशाय नमः ।। 76470 (22) (59)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420701

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा 22 JUN 2007

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मोहल्ला / ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.969 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य.. नहीं.
7. प्रतिफल की धनराशि 3000000 / –.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 3000000 / –रूपये
9. स्टाम्प देय 300000 / –रूपये जिसमें से 40000 / –रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–12.6.2006 प्रलेख संख्या–6687 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 260100 / –रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1000000 / रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम

मोनचंद 66876 [signature]

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16 .... के अन्तर्गत इकरारनामा सं0 .... पर अदा किया गया 39900 .... विक्रय विलेख सं. .... 76470 के साथ समायोजित किया गया।

उप०निबन्धक मथुरा 22/06/07

क्रमांक 5 दिनांक 22/6/07 मूल्य 25000

नाम श्री एम० जे० पी० इन्टरनेशनल द्वारा भागीदार राम अग्रवाल S/o श्री उमाशंकर अग्रवाल

पता 111 श्री जमुना बाग कॉलोनी मथुरा

(हस्ताक्षर) 22/6/07

डॉ० महेश कुमार जाकड़
सहा० सेक्रेटरी
कोषागार, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420702

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
22 JUN 2007

(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण.

भीकचन्द पुत्र श्री हरीसिंह निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष (जो असैसी नहीं है) व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै ६ ारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवंर्धन चौराहा, मथुरा" पेन नंबर–ए सी डब्लू टी ए 9032 ए "

द. भीकचंद

Agrawal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

420703

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007

(3)

हमकि भीकचन्द पुत्र श्री हरीसिंह निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–301 व खसरा नंबर–34 रकवा 0.969 हैक्टेयर लगानी 18.45 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और

भीकचंद

Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

420704

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
22 JUN 2007
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी मथुरा

(4)

सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व संम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाध ा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि

दमीकचँद

Hmawal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रूपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420705

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007

(5)

कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1000000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/–रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक–12.6.2006 जिसका

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420706

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
22 JUN 2007
हस्ताक्षर-वरि कोषाधिकारी मथुरा

(6)

निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3720 के सफा 1/16 नंबर–6687 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 40000/–रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/–रूपये का स्टाम्प कमकर 39900/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 260100/–रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3000000/–तीस लाख

द. मीकचंद

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

420707

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा 22 JUN 2007 हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी मथुरा

(7)

रूपया जिसके आधे 1500000/–पन्द्रह. लाख रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवंर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 1000000/–रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक के दो किता पेय आर्डर नंबर–4146 व द्वितीय नंबर–4147 दोनों दिनांक–12.6.2007 प्रत्येक तादादी 500000/–रूपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420708

22 JUN 2007

(8)

द्वारा पाये व 2000000/-रूपये भिन्न भिन्न तारीखों में पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त

द. मीकचंद

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420709

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा 22 JUN 2007

(9)

आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व

द.मीकचँद

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420710

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007

(10)

हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त

द. मीक चँद

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

03AA 899688

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा

22 JUN 2007

11)

आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब विकेता प्रथमपक्ष का उक्त खसरा नंबरान में कोई भी अंश भूमि शेष नहीं है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

द. मीकचँद

॥ श्री गणशाय नमः ॥

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 068803

12

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–22.6.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

द. भीकचंद

गवाह – विजय कुमार गौड़ पुत्र श्री प्रकाशचन्द निवासी करवी (मथुरा)

गवाह – श्याम सिंह S/o रामसिंह वृन्दावन गेट (मथुरा)

क्रमांक 16 दिनांक 22/6/07 मूल्य 1/-

नाम श्री.................. पुत्र..........

पता.......... हिमांशु (5)

22/6/07

डॉ० नरेश कुमार जालकई
सहा० स्टाम्प विक्रेता
कोषागार, मथुरा

Sig. Cashier
मथुरा
22 JUN 2007

आज दिनांक **22/06/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **4403**

पृष्ठ सं. **339** से **364** पर कमांक **7647**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
22/6/2007

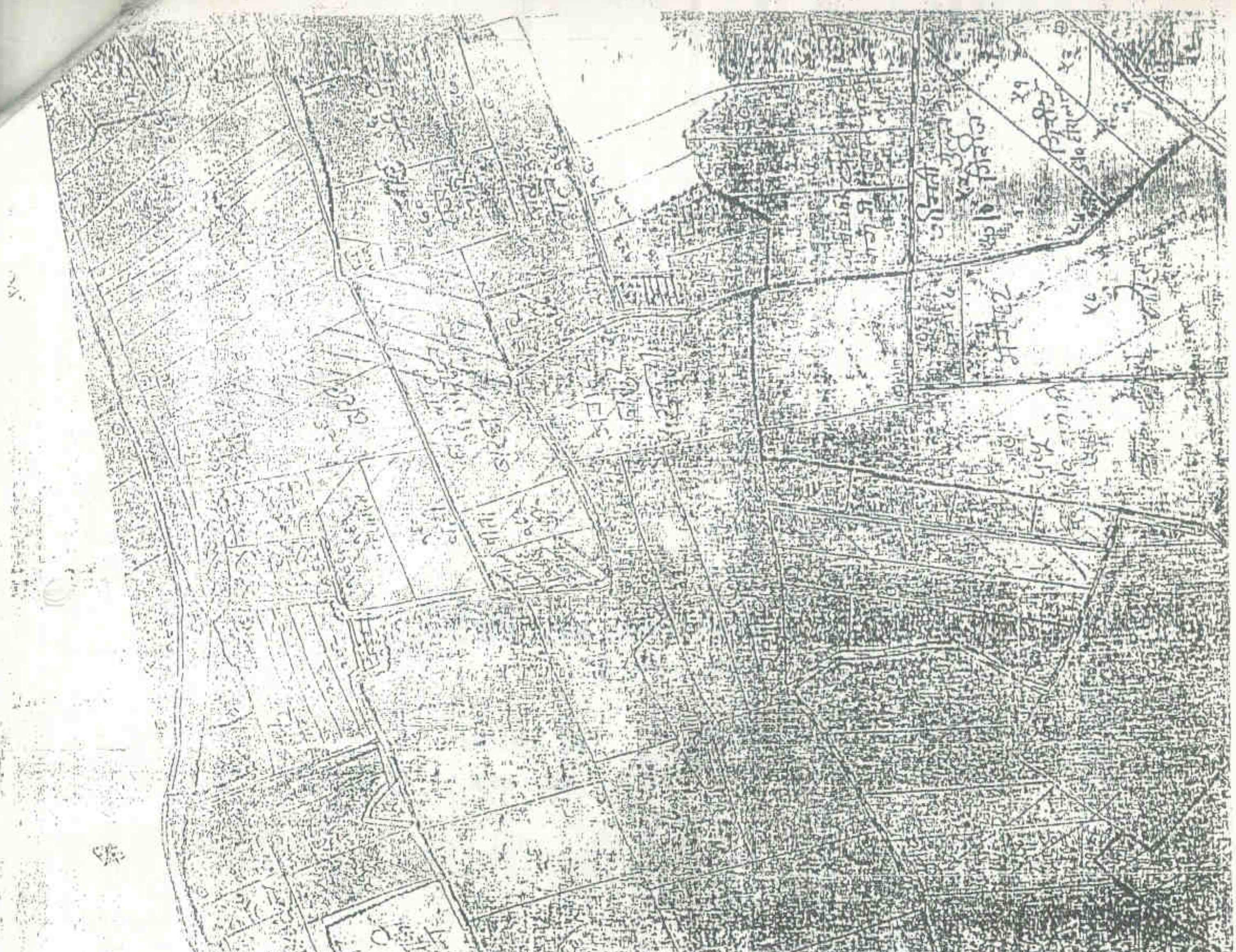

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00149	जगदीश राजेन्द्र श्रीमती लोंगश्री	मुनैया मुनैया स्व मुनैया	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	1409फ	33	0.9620		1415फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सख्या 1179टी एम /03.08.07 के अनुसार ग्राम के खाता सख्या 149 के खसरा सख्या 33 रकवा 0.962हे0 लगानी 18.70 के सम्पूर्ण अंश से विक्रेता जगदीश व राजेन्द्र पुत्रगण मुनैया व श्रीमती लोंगश्री विधवा मुनैया निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0ग्लोबल द्वारा साझीदार रामअग्रवाल पुत्र उमांशकर अग्रवाल निवासी 111श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिऐ दिनाक 22.06.07 के अंकित हो ह स र का 07.08.07	
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.9620	18.70		

हस्ताक्षर [signature]

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 55 / 2007–08

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल बनाम सरकार

धारा–143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0

मौजा सतोहा

नकल आदेश

प्रार्थी एस0जे0पी0ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी –111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा मौजा सतोहा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या– 434 खसरा संख्या– 82 रकवा 1.154है, भूराजस्व 14.00पैसे, खाता संख्या– 284 खसरा संख्या– 22 रकवा 0.169है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या– 149 खसरा संख्या 33 रकवा 0.962है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या–100 खसरा संख्या–31 रकवा 0.961है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या– 503 खसरा संख्या– 23 रकवा 0.168है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या–301 खसरा संख्या–34 रकवा 0.969है, भूराजस्व 18.45पैसे, के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं । उक्त भूमि को आवादी के उपयोग में लाना चाहते हैं, जिसके कारण कृषि से भूमि का उपयोग आवादी किया जाना आवश्यक है । प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि को आवादी घोषित किया जाय । उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–17.11.2007 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सतोहा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या– 434 खसरा संख्या– 82 रकवा 1.154है, भूराजस्व 14.00पैसे, खाता संख्या– 284 खसरा संख्या– 22 रकवा 0.169है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या– 149 खसरा संख्या– 33 रकवा 0.962है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या–100 खसरा संख्या–31 रकवा 0.961है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या– 503 खसरा संख्या– 23 रकवा 0.168है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या–301 खसरा संख्या–34 रकवा 0.969है, भूराजस्व 18.45पैसे, के एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी –111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है।तहसीलदार, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या प्राप्त होने पर दिनांक–03.12..2007 को गांव सभा सतोहा द्वारा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) मथुरा को सूचना–पत्र भेजा गया। प्रश्नगत भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकारण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है, किन्तु अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है । गांवसभा /राज्य सरकार की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), मथुरा द्वारा बहस के दौरान उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः शपथ–पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 17.11.2007 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा सतोहा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–434 खसरा संख्या– 82 रकवा 1.154है, भूराजस्व 14.00पैसे, खाता संख्या– 284 खसरा संख्या– 22 रकवा 0.169है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या– 149 खसरा संख्या– 33 रकवा 0.962है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या–100 खसरा संख्या–31 रकवा 0.961है, भूराजस्व 18.70पैसे, खाता संख्या– 503 खसरा संख्या– 23 रकवा 0.168है, भूराजस्व 2.70पैसे, खाता संख्या–301 खसरा संख्या–34 रकवा 0.969है, भूराजस्व 18.45पैसे,197 खसरा संख्या–691 रकवा–0.373है, भूराजस्व 6.20 पैसे को कृषिक से आवादी इस शर्त के साथ उद्घोषित किया जाता है कि आवादी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग मे लाने पर यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी । उक्त भूमि पर मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सभी नियम/अधिनियम यथावत लागू रहेंगें।

28/12/07

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा।

1. प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार पंजीकृत कर अनुपालन आख्या भिजवायें ।
2. प्रतिलिपि तहसीलदार,मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार अभिलेखों में इन्द्राज कराकर नकल खतौनी सहित अनुपालन आख्या भेजना सुनिश्चित करें ।

28/12/07

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

न्यायालय उप जिलाधिकारी मथुरा

1493
28/12/07

COURT FEE 2 Rs.
COURT FEE 2 Rs.
COURT FEE 2 Rs.
COURT FEE 1 Rs. INDIA ONE RUPEE

सत्य प्रतिलिपि
अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
31/12/07